न्यायालयः–आनंद बोरकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महासमुन्द (छ0ग0)

//दाण्डिक कार्य–विभाजन आदेश//

क्रमांक/...../कार्य विभा./CJM/2024 महासमुन्द दिनॉक : 20/12/2024

मैं **आनंद बोरकर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द (छ0ग0), दाण्डिक कार्य विभाजन** के संबंध में जारी किये गये **दिनांक 29/04/2023 एवं दिनांक 12/05/2023 तथा दिनांक 21/08/2023 तथा दिनांक 22/04/2024 के समस्त आदेश को निरस्त** करते हुए, **दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के तहत प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत, जिला महासमुन्द, (छ0ग0)** में सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार दाण्डिक कार्य विभाजन करता हूँ, जो **माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन** उपरांत् **अनुमोदन दिनांक से तत्काल प्रभाव** से लागू होगा :–

क्रं.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम**	**आबंटित थाना**	**आबंटित कार्य**
01	**02**	**03**	**04**
01	**आनंद बोरकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द (छ0ग0)**	**आरक्षी केन्द्र–सिटी कोतवाली महासमुन्द, आरक्षी केन्द्र– तुमगांव, चौकी सिरपुर एवं संपूर्ण जिला महासमुंद का यातायात थाना महासमुंद,(छ0ग0)**	1. **आरक्षी केन्द्र–सिटी कोतवाली महासमुन्द, थाना तुमगांव एवं चौकी सिरपुर** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं, जिला क्राइम ब्रांच एवं यातायात थाना महासमुन्द से उत्पन्न समस्त आपराधिक, एवं परिवाद प्रकरणों, जिसमें **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881** के प्रकरण तथा **विशेष अधिनियम से संबंधित आपराधिक मामले** भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा निराकरण करना। 2. **आबकारी वृत्त महासमुन्द शहर एवं आबकारी वृत्त महासमुन्द आंतरिक, ग्रामीण** से उत्पन्न **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915** के अधीन दण्डनीय समस्त परिवाद/चालानी प्रकरणो का निराकरण करना। 3. **आरक्षी केन्द्र–सिटी कोतवाली महासमुन्द, थाना तुमगांव एवं चौकी सिरपुर** क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** से संबंधित समस्त परिवाद प्रकरण का निराकरण करना।

			4. **नगर पालिका परिषद महासमुन्द, नगर पंचायत तुमगांव** से उत्पन्न होने वाले छ.ग. **नगर पालिका अधिनियम 1961** के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरणो का निराकरण करना। 5. **आरक्षी केन्द्र–सिटी कोतवाली महासमुन्द, आरक्षी केन्द्र तुमगांव एवं चौकी सिरपुर** से संबंधित **भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के प्रकरणों का निराकरण करना तथा **पषु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ0ग0 कृषक पषु परिरक्षण अधिनियम 2004** से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 6. **जिला महासमुन्द के समस्त आरक्षी केन्द्रों के धारा 169 एवं 173 दं0प्र0सं0** के अधीन **खारिजी हेतु/अपराधी रजिस्टर** से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण संपूर्ण कार्यवाही करते हुए खारिजी की कार्यवाही करना तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 7. **माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा** समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
02	**श्रीमती आकांक्षा भारद्वाज न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द (छ.ग.)**	**आरक्षी केन्द्र–खल्लारी तथा आरक्षी केन्द्र–पटेवा महासमुंद,(छ0ग0)**	1. **आरक्षी केन्द्र–पटेवा** तथा **खल्लारी** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, **(चिट फण्ड अधिनियम 1982, ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1972 के प्रकरणों को छोड़कर एवं छ0ग0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर)** जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा करना। 2. **आरक्षी केन्द्र पटेवा** तथा **खल्लारी** क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** से संबंधित परिवाद प्रकरणो का निराकरण करना।

			3. **आरक्षी केन्द्र पटेवा** तथा **खल्लारी** से संबंधित **भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के प्रकरणों का निराकरण करना तथा **पषु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ0ग0 कृषक पषु परिरक्षण अधिनियम 2004** से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 4. **धारा 169 एवं 173 दं0प्र0सं0 के अधीन खारिजी** हेतु/**अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु** प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए **प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को प्रेषित किए जायेगें तथा थाने से उत्पन्न **खात्मा प्रकरण** का निराकरण करना। 5. **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01** एवं **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द** के न्यायालय के **निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न आवेदनों** का निराकरण किया जाना । **6.** माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
03	**श्रीमती तान्या ब्रम्हे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द (छ.ग.)**		1. **माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
05	**श्री विनय कुमार साहू, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरायपाली, जिला–महासमुन्द(छ.ग**	**आरक्षी केन्द्र सरायपाली, सिंघोड़ा, बलौदा,**	1. **आरक्षी केन्द्र सरायपाली, सिंघोड़ा, बलौदा** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, **(चिट फण्ड अधिनियम 1982, ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1972 के प्रकरणों को छोड़कर एवं छ0ग0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर)** जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत

			अधिनियम 1981 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा करना। 2. **आरक्षी केन्द्र सरायपाली, सिंघोड़ा, बलौदा** से उत्पन्न होने वाले समस्त अनैतिक व्यापार **(निवारण)** अधिनियम 1956 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। 3. **आबकारी वृत्त सरायपाली** से उत्पन्न **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915** के अधीन दण्डनीय समस्त परिवाद/चालानी प्रकरणो का निराकरण करना। 4. **आरक्षी केन्द्र सरायपाली, सिंघोड़ा, बलौदा** क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** से संबंधित परिवाद प्रकरणो का निराकरण करना। 5. **नगर पालिका परिषद सरायपाली** से उत्पन्न होने वाले **छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961** के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरणो का निराकरण करना। 6. **आरक्षी केन्द्र सरायपाली, सिंघोड़ा, बलौदा एवं नगर पंचायत सरायपाली** क्षेत्र से संबंधित **भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के प्रकरणों का निराकरण करना तथा **पषु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ0ग0 कृषक पषु परिरक्षण अधिनियम 2004** से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 7. **धारा 169 एवं 173 दं0प्र0सं0 के अधीन खरिजी** हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए **प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जायेगें** तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 8. **माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायालय एवं माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी** द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं

			निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
06	**श्री अविनाश टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा, जिला–महासमुन्द (छ.ग.)**	**आरक्षी केन्द्र बागबाहरा, कोमाखान एवं चौंकी टुहलू**	1. आरक्षी केन्द्र बागबाहरा, कोमाखान एवं टुहलू चौंकी के समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, **(चिट फण्ड अधिनियम 1982, ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1972 के प्रकरणों को छोड़कर एवं छ0ग0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर)** जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा करना। 2. **थाना बागबाहरा, कोमाखान एवं चौंकी टुहलू** क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** से संबंधित परिवाद प्रकरणो का निराकरण करना। 3. **आबकारी वृत्त बागबाहरा** से **उत्पन्न छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915** के अधीन दण्डनीय समस्त परिवाद/चालानी प्रकरणो का निराकरण करना। 4. **नगर पालिका परिषद बागबाहरा** से उत्पन्न होने वाले **छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961** के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरणो का निराकरण करना 5. **थाना बागबाहरा, कोमाखान एवं चौंकी टुहलू** से संबंधित **भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के प्रकरणों का निराकरण करना तथा **पषु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ0ग0 कृषक पषु परिरक्षण अधिनियम 2004** से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 6. **धारा 169 एवं 173 दं0प्र0सं0 के अधीन खारिजी** हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए **प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को प्रेषित किए

			जायेगें तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 7. **माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सत्र न्यायालय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
07	**श्री प्रतीक टेम्भूरकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा, जिला–महासमुन्द (छ.ग.)**	**आरक्षी केन्द्र–पिथौरा एवं सांकरा एवं तेन्दुकोना, चौकी बुन्देली**	1. **आरक्षी केन्द्र पिथौरा, सांकरा, तेन्दुकोना, एवं चौकी बुंदेली** के समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, **(चिट फण्ड अधिनियम 1982, ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1972 के प्रकरणों को छोड़कर एवं छ0ग0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर)** जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा करना। 2. **आबकारी वृत्त पिथौरा** एवं **सांकरा** से उत्पन्न **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915** के अधीन दण्डनीय समस्त परिवाद/चालानी प्रकरणो का निराकरण करना 3. **आरक्षी केन्द्र पिथौरा, सांकरा, तेन्दुकोना, एवं चौकी बुंदेली** क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** से संबंधित परिवाद प्रकरणो का निराकरण करना । 4. **नगर पंचायत पिथौरा** से उत्पन्न होने वाले **छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961** के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरणो का निराकरण करना । 5. **आरक्षी केन्द्र पिथौरा, सांकरा, तेन्दुकोना, एवं चौकी बुंदेली** क्षेत्रांतर्गत संबंधित **भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के प्रकरणों का निराकरण करना तथा **पषु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ0ग0 कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004** से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 6. **धारा 169 एवं 173 दं0प्र0सं0 के अधीन खारिजी** हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित

			करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए **प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को प्रेषित किए जायेगें तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 7. **माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सत्र न्यायालय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
08	**श्री गिरिवर सिंग राजपूत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना, जिला–महासमुन्द(छ.ग.)**	**आरक्षी केन्द्र बसना, चौकी भंवरपुर**	1. **आरक्षी केन्द्र बसना, चौंकी भॅवरपुर से उत्पन्न** समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, **(चिट फण्ड अधिनियम 1982, ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1972 के प्रकरणों को छोड़कर एवं छ0ग0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर)** जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा करना। 2. **आबकारी वृत्त बसना** से उत्पन्न **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915** के अधीन दण्डनीय समस्त परिवाद/चालानी प्रकरणो का निराकरण करना 3. **आरक्षी केन्द्र बसना, चौकी भंवरपुर** क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** से संबंधित परिवाद प्रकरणो का निराकरण करना। 4. **नगर पंचायत बसना** से उत्पन्न होने वाले **छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961** के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरणो का निराकरण करना । 5. **आरक्षी केन्द्र बसना, चौकी भंवरपुर** क्षेत्रांतर्गत संबंधित **भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के प्रकरणों का निराकरण करना तथा **पषु**

			कुरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ0ग0 कृषक पषु परिरक्षण अधिनियम 2004 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 6.. **धारा 169 एवं 173 दं0प्र0सं0 के अधीन खारिजी** हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए **प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को प्रेषित किए जायेगें तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 7. **माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सत्र न्यायालय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।

<u>नोट</u> :–(01) यदि महासमुन्द मुख्यालय में पदस्थ किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाता है और उसके स्थान पर तत्काल किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के थाना क्षेत्र से उद्भुत नवीन दाण्डिक कार्य आगामी आदेश तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द के न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध एवं निराकृत किये जावेंगे।

(02) माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा, अभियोग पत्र ग्रहण किए जाने बाबत् यथा अभियोग पत्र की सुस्पष्ट पठनीय प्रति, कम्प्युटर प्रति/टंकित प्रति, साक्षियों के फोटो, जप्तशुदा संपत्ति, चिकित्सीय रिपोर्ट, विशेषज्ञ रिपोर्ट एवं अन्य, आदि के संबंध में दिए गए समस्त निर्देशों का पालन, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अभियोग पत्र ग्रहण करते समय कठोरता से पालन करेगें ।

(03) **ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विस्तृत उल्लेख कार्य विभाजन आदेश मे नही है एवं अन्य किसी प्रकार की शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में विशेष परिस्थिति में जिला महासमुन्द के समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न प्रकरणों (विशेष न्यायालयों/विशेष सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण छोड़कर), के विधिवत् निराकरण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।**

(04) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा महासमुन्द जिले में समस्त थाना क्षेत्रों में चलित न्यायालय/मोबाईल कोर्ट लगाया जा सकेगा।

(05) ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिन्हे संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्राप्त है), अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर प्रत्येक माह में एक बार मोबाईल कोर्ट/चलित न्यायालय (दैनिक न्यायिक कार्य को प्रभावित किये बिना) आयोजित कर सकेंगे एवं अर्थदण्ड बाबत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगे।

(06) न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य निष्पादित करने वाले मजिस्ट्रेटगण प्रकरण की कार्यवाही के समय, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि **दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 468** के उपबंधों की अवहेलना ना हो।

(07) कार्य–विभाजन आदेश के अनुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में, अन्य आगामी आदेश पर्यंत, प्रभार में लेने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, तदनुसार ही कार्य संपादित करेगें।

(08) अवकाश में एवं प्रशिक्षण में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, प्रभार में कार्य करने वाले तथा मुख्यालय मे रहने वाले मजिस्ट्रेट को, अवकाश की सूचना देगे तथा मुख्यालय से बाहर जाते समय प्रस्थान किए जाने से पूर्व माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगे।

(09) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने, शासकीय दौरे पर होने एवं स्थानांतरण होने एवं अन्य किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थित रहने पर निम्न सूची अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अत्यावश्यक कार्य संपादित करेगें, जिसमें अन्य न्यायालय के विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरणों को उपस्थित साक्षियो का साक्ष्य लेकर प्रकरण संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया जाना तथा रिमाण्ड, वारंण्ट, वारंण्ट निरस्तीकरण, सुपुर्दनामा, जमानत, त्वरित सुनवाई आवेदन का निराकरण किया जाना शामिल है –

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम	प्रथम प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम	द्वितीय प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम
01	02	03	04
01	**आनंद बोरकर** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द (छ.ग.)	**आकांक्षा भारद्वाज** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द (छ.ग.)	**सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द, (छ.ग.)
02	**आकांक्षा भारद्वाज** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द, (छ.ग.)	**सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुन्द (छ.ग.)	**आनंद बोरकर** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महासमुन्द (छ.ग.)
03	**सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुन्द (छ.ग.)	**आकांक्षा भारद्वाज** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुन्द (छ.ग.)	**आनंद बोरकर** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महासमुन्द, (छ.ग.)
04	**विनय कुमार साहू,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली (छ.ग.)	**श्री गिरवर सिंग राजपूत** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना (छ.ग.)	**श्री प्रतीक टेम्भूरकर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा, (छ.ग.)
05	**श्री अविनाश टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा, (छ.ग.)	**आकांक्षा भारद्वाज,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुन्द (छ.ग.)	**सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द, (छ.ग.)
07	**श्री प्रतीक टेम्भूरकर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा, (छ.ग.)	**सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुन्द (छ.ग.)	**आकांक्षा भारद्वाज** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुन्द (छ.ग.)
08	**श्री गिरिवर सिंग राजपूत** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना (छ.ग.)	**विनय कुमार साहू,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली (छ.ग.)	**श्री प्रतीक टेम्भूरकर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा, (छ.ग.)

(10) उपरोक्त सरल कमांक 08 की अनुसूची के अनुसार संपादित करने वाले प्रथम एवं द्वितीय प्रभार दोनों के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते है, तब **अत्यावश्यक कार्य बाबत यदि शंकास्पद स्थिति आती है तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देखेगे तथा उनके अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य** संपादित करेगे।

(11) **अत्यावश्यक कार्यों में अन्य न्यायालय से संबंधित प्रकरणो का अभियोग पत्र लेकर, अंतिम निराकरण किया जाना शामिल नहीं है, परन्तु भा0द0सं0 की धारा 279, 337 एवं 338 सहपठित मोटरयान अधिनियम के तहत ऐसे प्रकरण जिनके आरोपीगण, छत्तीसगढ राज्य से अन्य राज्य के निवासी हों एवं स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहते हो, मात्र उन्हीं प्रकरणों मे अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जा सकेगा एवं निराकरण पश्चात इसकी सूचना संबंधित अधिकारिता के दाण्डिक न्यायालय को लिखित रूप में देंगे ।**

(12) **धारा 164 द0प्र0सं0** के तहत प्रस्तुत होने वाले कथन न्यायिक मजिस्ट्रेटगण आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने पर दो–तीन दिनों के अंदर विधिवत् द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अंतर्गत अभिलिखित करेगें एवं संबंधित न्यायालय को सीलबंद कर प्रेषित करेगें और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगे। **दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164** के तहत **साक्ष्य एवं संस्वीकृति** के कथन निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जावेगे–

क्रं.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम**	**आरक्षी केन्द्र क्षेत्र**
01	**आकांक्षा भारद्वाज** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द, (छ.ग.)	**आरक्षी केन्द्र–सिटी कोतवाली महासमुन्द, आरक्षी केन्द्र तुमगांव** एवं **चौकी सिरपुर** से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।
02	**सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द, (छ.ग.)	**आरक्षी केन्द्र बागबाहरा, खल्लारी एवं बाल न्यायालय से संबंधित महासमुंद जिला के समस्त आरक्षी केन्द्रों** से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।
03	**विनय कुमार साहू** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, सरायपाली, जिला–महासमुन्द(छ.ग.)	**आरक्षी केन्द्र बसना एवं चौकी भंवरपुर** से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।
04	**श्री गिरवर सिंह राजपूत,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना, जिला–महासमुन्द(छ.ग.)	**आरक्षी केन्द्र सरायपाली, सिंघोड़ा एवं बलौदा** से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।
05	**श्री अविनाश टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा, (छ.ग.)	**आरक्षी केन्द्र पिथौरा, तेन्दुकोना, सांकरा चौकी बुन्देली** से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।
06	**श्री प्रतीक टेम्भूरकर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा, (छ.ग.)	**आरक्षी केन्द्र कोमाखान, चौंकी टुहलू** एवं **आरक्षी केन्द्र पटेवा** से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।

टीपः–(01) स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52ए के अंतर्गत अभिगृहित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जब्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के अंतर्गत नमूना लेने की कार्यवाही संबंधित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार वाले **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वयं** करेंगे।

पृष्ठाकंन क्रमांक–/.....कार्य/2024 महासमुंद, दिनांक–20/12/2024

प्रतिलिपि :–

01/ प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

02/ माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

03/ माननीय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट महासमुन्द (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

04/ माननीय न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायपाली (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।

05/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी महासमुन्द/बागबाहरा/पिथौरा/बसना/सरायपाली, जिला–महासमुन्द की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

06/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी, महासमुन्द (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

07/ पुलिस अधीक्षक महासमुन्द की ओर सूचनार्थ एवं समस्त थानो को संसूचित करने हेतु प्रेषित।

08/ अधिवक्ता संघ महासमुन्द (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

09/ जिला आबकारी अधिकारी वृत्त महासमुंद जिला, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10/ कार्यालय जिला वन मण्डलाधिकारी, महासमुंद, जिला–महासमुंद, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आनंद बोरकर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महासमुन्द (छ0ग0)

न्यायालयः– चित्रलेखा सोनवानी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महासमुन्द (छ0ग0)

//दाण्डिक कार्य–विभाजन आदेश//

क्रमांक/...../कार्य विभा./CJM/2024 महासमुन्द दिनॉक : 22/04/2024

मैं **चित्रलेखा सोनवानी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द (छ0ग0), दाण्डिक कार्य विभाजन** के संबंध में जारी किये गये **दिनांक 29/04/2023 एवं दिनांक 12/05/2023 तथा दिनांक 21/08/2023 के समस्त आदेश को निरस्त** करते हुए, **दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 14(1) एवं 15(2) के तहत प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत, जिला महासमुन्द, (छ0ग0)** में सुचारू रूप से कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार दाण्डिक कार्य विभाजन करती हूँ, जो **माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन** उपरांत् **अनुमोदन दिनांक से तत्काल प्रभाव** से लागू होगा :–

क्रं.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आबंटित थाना	आबंटित कार्य
01	02	03	04
01	**सुश्री चित्रलेखा सोनवानी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द (छ0ग0)**	**आरक्षी केन्द्र–सिटी कोतवाली महासमुन्द, आरक्षी केन्द्र– तुमगांव, चौकी सिरपुर एवं संपूर्ण जिला महासमुंद का यातायात थाना महासमुंद,(छ0ग0)**	1. **आरक्षी केन्द्र–सिटी कोतवाली महासमुन्द, थाना तुमगांव एवं चौकी सिरपुर** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण एवं, जिला क्राइम ब्रांच एवं यातायात थाना महासमुन्द से उत्पन्न समस्त आपराधिक, एवं परिवाद प्रकरणों, जिसमें **धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881** के प्रकरण तथा **विशेष अधिनियम से संबंधित आपराधिक मामले** भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा निराकरण करना। 2. **आबकारी वृत्त महासमुन्द शहर एवं आबकारी वृत्त महासमुन्द आंतरिक, ग्रामीण** से उत्पन्न **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915** के अधीन दण्डनीय समस्त परिवाद/चालानी प्रकरणो का निराकरण करना। 3. **आरक्षी केन्द्र–सिटी कोतवाली महासमुन्द, थाना तुमगांव एवं चौकी सिरपुर** क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** से संबंधित समस्त परिवाद प्रकरण का निराकरण करना।

			4. **नगर पालिका परिषद महासमुन्द, नगर पंचायत तुमगांव** से उत्पन्न होने वाले छ.ग. **नगर पालिका अधिनियम 1961** के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरणो का निराकरण करना। 5. **आरक्षी केन्द्र–सिटी कोतवाली महासमुन्द, आरक्षी केन्द्र तुमगांव एवं चौकी सिरपुर** से संबंधित **भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के प्रकरणों का निराकरण करना तथा **पषु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ0ग0 कृषक पषु परिरक्षण अधिनियम 2004** से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 6. **जिला महासमुन्द के समस्त आरक्षी केन्द्रों के धारा 169 एवं 173 दं0प्र0सं0** के अधीन **खारिजी हेतु/अपराधी रजिस्टर** से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण संपूर्ण कार्यवाही करते हुए खारिजी की कार्यवाही करना तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 7. **माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा** समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
02	**सुश्री श्वेता मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द (छ.ग.)**	**आरक्षी केन्द्र–खल्लारी तथा आरक्षी केन्द्र–पटेवा महासमुंद,(छ0ग0)**	1. **आरक्षी केन्द्र–पटेवा** तथा **खल्लारी** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, **(चिट फण्ड अधिनियम 1982, ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1972 के प्रकरणों को छोड़कर एवं छ0ग0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर)** जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा करना। 2. **आरक्षी केन्द्र पटेवा** तथा **खल्लारी** क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** से संबंधित परिवाद प्रकरणो का निराकरण

			करना। 3. **आरक्षी केन्द्र पटेवा** तथा **खल्लारी** से संबंधित **भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के प्रकरणों का निराकरण करना तथा **पषु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ0ग0 कृषक पषु परिरक्षण अधिनियम 2004** से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 4. **धारा 169 एवं 173 दं0प्र0सं0 के अधीन खारिजी** हेतु/**अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु** प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए **प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को प्रेषित किए जायेगें तथा थाने से उत्पन्न **खात्मा प्रकरण** का निराकरण करना। 5. **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01** एवं **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द** के न्यायालय के **निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न आवेदनों** का निराकरण किया जाना । **6.** माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
03	**श्रीमती तान्या ब्रम्हे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द (छ.ग.)**		1. **माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
05	**श्रीमती नमिता मिंज भास्कर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सरायपाली, जिला–महासमुन्द(छ.ग**	**आरक्षी केन्द्र सरायपाली, सिंघोड़ा, बलौदा,**	1. **आरक्षी केन्द्र सरायपाली, सिंघोड़ा, बलौदा** से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, **(चिट फण्ड अधिनियम 1982, ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1972 के प्रकरणों को छोड़कर एवं छ0ग0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर)** जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत

			अधिनियम 1981 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा करना। 2. **आरक्षी केन्द्र सरायपाली, सिंघोड़ा, बलौदा** से उत्पन्न होने वाले समस्त अनैतिक व्यापार **(निवारण)** अधिनियम 1956 से संबंधित मामलों का निराकरण करना। 3. **आबकारी वृत्त सरायपाली** से उत्पन्न **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915** के अधीन दण्डनीय समस्त परिवाद/चालानी प्रकरणो का निराकरण करना। 4. **आरक्षी केन्द्र सरायपाली, सिंघोड़ा, बलौदा** क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** से संबंधित परिवाद प्रकरणो का निराकरण करना। 5. **नगर पालिका परिषद सरायपाली** से उत्पन्न होने वाले **छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961** के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरणो का निराकरण करना। 6. **आरक्षी केन्द्र सरायपाली, सिंघोड़ा, बलौदा एवं नगर पंचायत सरायपाली** क्षेत्र से संबंधित **भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के प्रकरणों का निराकरण करना तथा **पषु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ0ग0 कृषक पषु परिरक्षण अधिनियम 2004** से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 7. **धारा 169 एवं 173 दं0प्र0सं0 के अधीन खरिजी** हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए **प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जायेगें** तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 8. **माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायालय एवं माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी** द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं

			निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
06	**श्री अविनाष टोप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा, जिला–महासमुन्द(छ.ग.)**	**आरक्षी केन्द्र बागबाहरा, कोमाखान एवं चौंकी टुहलू**	1. आरक्षी केन्द्र बागबाहरा, कोमाखान एवं टुहलू चौंकी के समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, **(चिट फण्ड अधिनियम 1982, ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1972 के प्रकरणों को छोड़कर एवं छ0ग0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर)** जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा करना। 2. **थाना बागबाहरा, कोमाखान एवं चौंकी टुहलू** क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** से संबंधित परिवाद प्रकरणो का निराकरण करना । 3. **आबकारी वृत्त बागबाहरा** से **उत्पन्न छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915** के अधीन दण्डनीय समस्त परिवाद/चालानी प्रकरणो का निराकरण करना। 4. **नगर पालिका परिषद बागबाहरा** से उत्पन्न होने वाले **छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961** के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरणो का निराकरण करना 5. **थाना बागबाहरा, कोमाखान एवं चौंकी टुहलू** से संबंधित **भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के प्रकरणों का निराकरण करना तथा **पषु कुरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ0ग0 कृषक पषु परिरक्षण अधिनियम 2004** से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 6. **धारा 169 एवं 173 दं0प्र0सं0 के अधीन खारिजी** हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए **प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को प्रेषित किए

			जायेगें तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 7. **माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सत्र न्यायालय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
07	**श्री प्रतीक टेम्भूरकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा, जिला–महासमुन्द (छ.ग.)**	**आरक्षी केन्द्र–पिथौरा एवं सांकरा एवं तेन्दुकोना, चौकी बुन्देली**	1. **आरक्षी केन्द्र पिथौरा, सांकरा, तेन्दुकोना, एवं चौकी बुंदेली** के समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, **(चिट फण्ड अधिनियम 1982, ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1972 के प्रकरणों को छोड़कर एवं छ0ग0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर)** जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा करना। 2. **आबकारी वृत्त पिथौरा** एवं **सांकरा** से उत्पन्न **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915** के अधीन दण्डनीय समस्त परिवाद/चालानी प्रकरणो का निराकरण करना 3. **आरक्षी केन्द्र पिथौरा, सांकरा, तेन्दुकोना, एवं चौकी बुंदेली** क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** से संबंधित परिवाद प्रकरणो का निराकरण करना । 4. **नगर पंचायत पिथौरा** से उत्पन्न होने वाले **छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961** के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरणो का निराकरण करना । 5. **आरक्षी केन्द्र पिथौरा, सांकरा, तेन्दुकोना, एवं चौकी बुंदेली** क्षेत्रांतर्गत संबंधित **भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के प्रकरणों का निराकरण करना तथा **पषु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ0ग0 कृषक पषु परिरक्षण अधिनियम 2004** से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 6. **धारा 169 एवं 173 दं0प्र0सं0 के अधीन खारिजी** हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित

			करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए **प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को प्रेषित किए जायेगें तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 7. **माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सत्र न्यायालय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
08	**श्री गिरिवर सिंग राजपूत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना, जिला–महासमुन्द(छ.ग.)**	**आरक्षी केन्द्र बसना, चौकी भंवरपुर**	1. **आरक्षी केन्द्र बसना, चौंकी भॅवरपुर से उत्पन्न** समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण, **(चिट फण्ड अधिनियम 1982, ईनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 1972 के प्रकरणों को छोड़कर एवं छ0ग0 निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम को छोड़कर)** जिसमें धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1981 के प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निराकरण एवं खात्मा करना। 2. **आबकारी वृत्त बसना** से उत्पन्न **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915** के अधीन दण्डनीय समस्त परिवाद/चालानी प्रकरणो का निराकरण करना 3. **आरक्षी केन्द्र बसना, चौकी भंवरपुर** क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न समस्त **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम–2005** से संबंधित परिवाद प्रकरणो का निराकरण करना। 4. **नगर पंचायत बसना** से उत्पन्न होने वाले **छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961** के अंतर्गत समस्त आपराधिक प्रकरणो का निराकरण करना । 5. **आरक्षी केन्द्र बसना, चौकी भंवरपुर** क्षेत्रांतर्गत संबंधित **भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972** के प्रकरणों का निराकरण करना तथा **पषु**

			कुरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ0ग0 कृषक पषु परिरक्षण अधिनियम 2004 से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 6.. **धारा 169 एवं 173 दं0प्र0सं0 के अधीन खारिजी** हेतु/अपराधी रजिस्टर से विलोपित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए **प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** को प्रेषित किए जायेगें तथा थाने से उत्पन्न खात्मा प्रकरण का निराकरण करना। 7. **माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सत्र न्यायालय, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** द्वारा समय समय पर दिये गये आदेश एवं निर्देशानुसार किये जाने वाले कार्य तथा सौपे गये समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।

<u>नोट</u> :–(01) यदि महासमुन्द मुख्यालय में पदस्थ किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाता है और उसके स्थान पर तत्काल किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के थाना क्षेत्र से उद्भुत नवीन दाण्डिक कार्य आगामी आदेश तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द के न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध एवं निराकृत किये जावेंगे।

(02) माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा, अभियोग पत्र ग्रहण किए जाने बाबत् यथा अभियोग पत्र की सुस्पष्ट पठनीय प्रति, कम्प्युटर प्रति/टंकित प्रति, साक्षियों के फोटो, जप्तशुदा संपत्ति, चिकित्सीय रिपोर्ट, विशेषज्ञ रिपोर्ट एवं अन्य, आदि के संबंध में दिए गए समस्त निर्देशों का पालन, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अभियोग पत्र ग्रहण करते समय कठोरता से पालन करेगें ।

(03) **ऐसे अन्य प्रकरण जिनका विस्तृत उल्लेख कार्य विभाजन आदेश मे नही है एवं अन्य किसी प्रकार की शंका की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में विशेष परिस्थिति में जिला महासमुन्द के समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न प्रकरणों (विशेष न्यायालयों/विशेष सत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के प्रकरण छोड़कर), के विधिवत् निराकरण, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।**

(04) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा महासमुन्द जिले में समस्त थाना क्षेत्रों में चलित न्यायालय/मोबाईल कोर्ट लगाया जा सकेगा।

(05) ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट (जिन्हे संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्राप्त है), अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित पुलिस थाना क्षेत्र में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर प्रत्येक माह में एक बार मोबाईल कोर्ट/चलित न्यायालय (दैनिक न्यायिक कार्य को प्रभावित किये बिना) आयोजित कर सकेंगे एवं अर्थदण्ड बाबत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगे।

(06) न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य निष्पादित करने वाले मजिस्ट्रेटगण प्रकरण की कार्यवाही के समय, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि **दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 468** के उपबंधों की अवहेलना ना हो।

(07) कार्य–विभाजन आदेश के अनुसार नामांकित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानांतरण की दशा में, अन्य आगामी आदेश पर्यंत, प्रभार में लेने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट, तदनुसार ही कार्य संपादित करेगें।

(08) अवकाश में एवं प्रशिक्षण में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट, प्रभार में कार्य करने वाले तथा मुख्यालय मे रहने वाले मजिस्ट्रेट को, अवकाश की सूचना देगे तथा मुख्यालय से बाहर जाते समय प्रस्थान किए जाने से पूर्व माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगे।

(09) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने, शासकीय दौरे पर होने एवं स्थानांतरण होने एवं अन्य किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थित रहने पर निम्न सूची अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेटगण अत्यावश्यक कार्य संपादित करेगें, जिसमें अन्य न्यायालय के विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरणों को उपस्थित साक्षियो का साक्ष्य लेकर प्रकरण संबंधित न्यायालय में प्रेषित किया जाना तथा रिमाण्ड, वारंण्ट, वारंण्ट निरस्तीकरण, सुपुर्दनामा, जमानत, त्वरित सुनवाई आवेदन का निराकरण किया जाना शामिल है –

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम	प्रथम प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम	द्वितीय प्रभारी मजिस्ट्रेट का नाम व पदनाम
01	**02**	**03**	**04**
01	**चित्रलेखा सोनवानी** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द (छ.ग.)	**सुश्री श्वेता मिश्रा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द (छ.ग.)	**सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द, (छ.ग.)
02	**सुश्री श्वेता मिश्रा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द, (छ.ग.)	**सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुन्द (छ.ग.)	**चित्रलेखा सोनवानी** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महासमुन्द (छ.ग.)
03	**सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुन्द (छ.ग.)	**सुश्री श्वेता मिश्रा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुन्द (छ.ग.)	**चित्रलेखा सोनवानी** मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महासमुन्द, (छ.ग.)
04	**श्रीमती नमिता मिंज** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली (छ.ग.)	**श्री गिरवर सिंग राजपूत** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना (छ.ग.)	**श्री प्रतीक टेम्भूरकर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा, (छ.ग.)
05	**श्री अविनाश टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा, (छ.ग.)	**सुश्री श्वेता मिश्रा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुन्द (छ.ग.)	**सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द, (छ.ग.)
07	**श्री प्रतीक टेम्भूरकर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा, (छ.ग.)	**सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुन्द (छ.ग.)	**सुश्री श्वेता मिश्रा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुन्द (छ.ग.)
08	**श्री गिरिवर सिंग राजपूत** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना (छ.ग.)	**श्रीमती नमिता मिंज** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली (छ.ग.)	**श्री प्रतीक टेम्भूरकर** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा, (छ.ग.)

(10) उपरोक्त सरल कमांक 08 की अनुसूची के अनुसार संपादित करने वाले प्रथम एवं द्वितीय प्रभार दोनों के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते है, तब **अत्यावश्यक कार्य बाबत यदि शंकास्पद स्थिति आती है तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देखेगे तथा उनके अनुपस्थिति में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्य** संपादित करेगे।

(11) **अत्यावश्यक कार्यों में अन्य न्यायालय से संबंधित प्रकरणो का अभियोग पत्र लेकर, अंतिम निराकरण किया जाना शामिल नहीं है, परन्तु भा0द0सं0 की धारा 279, 337 एवं 338 सहपठित मोटरयान अधिनियम के तहत ऐसे प्रकरण जिनके आरोपीगण, छत्तीसगढ राज्य से अन्य राज्य के निवासी हों एवं स्वेच्छया पूर्वक अपराध स्वीकार करना चाहते हो, मात्र उन्हीं प्रकरणों मे अभियोग पत्र लेकर अंतिम निराकरण किया जा सकेगा एवं निराकरण पश्चात इसकी सूचना संबंधित अधिकारिता के दाण्डिक न्यायालय को लिखित रूप में देंगे ।**

(12) **धारा 164 द0प्र0सं0** के तहत प्रस्तुत होने वाले कथन न्यायिक मजिस्ट्रेटगण आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने पर दो–तीन दिनों के अंदर विधिवत् द0प्र0सं0 के प्रावधानों के अंतर्गत अभिलिखित करेगें एवं संबंधित न्यायालय को सीलबंद कर प्रेषित करेगें और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगे। **दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 164** के तहत **साक्ष्य एवं संस्वीकृति** के कथन निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जावेगे–

क्रं.	**न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम**	**आरक्षी केन्द्र क्षेत्र**
01	**सुश्री श्वेता मिश्रा,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द, (छ.ग.)	**आरक्षी केन्द्र–सिटी कोतवाली महासमुन्द, आरक्षी केन्द्र तुमगांव** एवं **चौकी सिरपुर** से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।
02	**सुश्री तान्या ब्रम्हे,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुन्द, (छ.ग.)	**आरक्षी केन्द्र बागबाहरा, खल्लारी एवं बाल न्यायालय से संबंधित महासमुंद जिला के समस्त आरक्षी केन्द्रों** से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।
03	**श्रीमती नमिता मिंज** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी, सरायपाली, जिला–महासमुन्द(छ.ग.)	**आरक्षी केन्द्र बसना एवं चौकी भंवरपुर** से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।
04	**श्री गिरवर सिंह राजपूत,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना, जिला–महासमुन्द(छ.ग.)	**आरक्षी केन्द्र सरायपाली, सिंघोड़ा एवं बलौदा** से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।
05	**श्री अविनाश टोप्पो** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बागबाहरा, (छ.ग.)	**आरक्षी केन्द्र पिथौरा, तेन्दुकोना, सांकरा चौकी बुन्देली** से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।
06	**श्री प्रतीक टेम्भूरकर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिथौरा, (छ.ग.)	**आरक्षी केन्द्र कोमाखान, चौंकी टुहलू** एवं **आरक्षी केन्द्र पटेवा** से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामलों में धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत कथन अभिलिखित किया जावेगा।

टीपः–(01) स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52ए के अंतर्गत अभिगृहित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (जब्ती, भण्डारण, नमूनाकरण और निपटान) नियम 2022 के अंतर्गत नमूना लेने की कार्यवाही संबंधित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्राधिकार वाले **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स्वयं** करेंगे।

पृष्ठाकंन क्रमांक–/.....कार्य/2024 महासमुंद, दिनांक–22/01/2024

प्रतिलिपि :–

01/ प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

02/ माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

03/ माननीय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट महासमुन्द (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

04/ माननीय न्यायाधीश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरायपाली (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित ।

05/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी महासमुन्द/बागबाहरा/पिथौरा/बसना/सरायपाली, जिला–महासमुन्द की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

06/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी, महासमुन्द (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

07/ पुलिस अधीक्षक महासमुन्द की ओर सूचनार्थ एवं समस्त थानो को संसूचित करने हेतु प्रेषित।

08/ अधिवक्ता संघ महासमुन्द (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

09/ जिला आबकारी अधिकारी वृत्त महासमुंद जिला, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

10/ कार्यालय जिला वन मण्डलाधिकारी, महासमुंद, जिला–महासमुंद, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(चित्रलेखा सोनवानी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
महासमुन्द (छ0ग0)